न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 01, आजमगढ़।

फौजदारी निगरानी संख्या–328/2024

कैलाश राम बनाम स्टेट।

दिनाँक–02.07.2025

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

निगरानीकर्ता कैलाश राम की ओर से प्रार्थना पत्र 10 ख के माध्यम से मूल पत्रावली तलब किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थना पत्र पर विपक्षीगण की ओर से मौखिक रूप से आपत्ति की गयी है।

सुना व अभिलेख का अनुशीलन किया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार निगरानी की सुनवाई के दौरान मूल पत्रावली तलब नहीं किया जाएगा, जबतक कि उसकी कोई विशेष आवश्यकता न हो। प्रस्तुत निगरानी न्याय निर्णयन के लिए निगरानीकर्ता जो अभिलेख मूल पत्रावली से प्रस्तुत करना चाहता है, उनकी फोटो प्रति पत्रावली में दाखिल कर सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र 10 ख निरस्त किया जाता है। निगरानीकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि 15 दिन के अंदर आवश्यक प्रपत्र दाखिल करे। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 08.08.2025 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 01,
आजमगढ़।

Digitally signed by Ajay Kumar Shahi
Date: 2025.07.02 13:04:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court